



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2005/भाद्र 29, 1927

No. 1007]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2005/BHADRA 29, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2005

का.आ. 1372(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	भूखंड कि. मी. में
(1)	(2)	(3)
2	विद्यमान पूर्वा पहुंच और दूसरे विवेकानंद पुल	672.197 कि. मी. से 672.674 कि. मी. तक

[फा. सं. एनएच-14012/8/2002-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2005

S.O. 1372(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below (herein after referred to as the said Table), of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
2	Eastern approach of existing and 2nd Vivekananda Bridge	From Km. 672.197 to Km. 672.674

[F. No. NH-14012/8/2002-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.